"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2026 —— ज्येष्ठ 15, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/17432/2026-COMTAX SECTION.–– छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–48/2017/वा.क.(पं.)/पांच (96), दिनांक 13 जुलाई 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलबब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा के साथ, प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :–

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन, सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाला लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उप पंजीयक कार्यालय	**दस्तावेजों का पंजीयन** : (क) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण न किया जाना हो	1 दिवस	उप पंजीयक	जिला पंजीयक	महानिरीक्षक पंजीयन
		(ख) जब संपत्ति का	3 दिवस	उप पंजीयक	जिला	महानिरीक्षक

		स्थल निरीक्षण किया जाना हो			पंजीयक	पंजीयन
		(ग) धारा 30(1) मुख्यालय में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों के संबंध में	3 दिवस	उप पंजीयक	जिला पंजीयक	महानिरीक्षक पंजीयन
2	उप पंजीयक कार्यालय	दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रदान करना	07 दिवस	उप पंजीयक	जिला पंजीयक	महानिरीक्षक पंजीयन
3	उप पंजीयक कार्यालय	भार—मुक्त प्रमाण पत्र	07 दिवस	उप पंजीयक	जिला पंजीयक	महानिरीक्षक पंजीयन
4	जिला पंजीयक कार्यालय	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के तहत समुचित स्टाम्प के बारे में न्याय निर्णयन	90 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन
5	जिला पंजीयक कार्यालय	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 33 के तहत परिबद्ध लिखतों को स्टाम्पित किया जाना	90 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन
6	जिला पंजीयक कार्यालय	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47—क(1—क) एवं 47—क(3) के तहत, मुद्रांक प्रकरणों का निराकरण	90 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन
7	जिला पंजीयक कार्यालय	खराब हो गये/ अनुपयोगी गैर अदालती स्टाम्पों के रिफंड	30 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन
8	जिला पंजीयक कार्यालय	छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम 1942 के अन्तर्गत स्टाम्प वेण्डर अनुज्ञप्ति जारी किया जाना	15 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन
9	जिला पंजीयक कार्यालय	दस्तावेज लेखक लायसेंस नियम, 1966 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिवस	जिला पंजीयक	उप महानिरीक्षक पंजीयन	महानिरीक्षक पंजीयन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप—सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 जून 2026

क्रमांक GENS/17432/2026-COMTAX SECTION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GENS/17432/2026-COMTAX SECTION दिनांक 04/06/2026 का अग्रेंजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सिंह, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 4th June 2026

NOTIFICATION

No. GENS/17432/2026-COMTAX SECTION.— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011) and in supersession of previous notification No. 10-48/2017/Commercial Tax (Registration)/Five (96), dated 13.07.2017, the State Government, hereby, notifies the name of office, services to be provided by the department as specified in the schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Name of the Office/Body/ Organisation	Service to be Provided under the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Limit for providing the Service (Working Days)	Designated Officer (post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sub-Registrar Office	**Registration of Documents:** (a) Where physical inspection of the property is not required	01 Day	Sub-Registrar	District Registrar	Inspector General of Registration
		(b) Where physical inspection of the property is required	03 Days	Sub-Registrar	District Registrar	Inspector General of Registration
		(c) In respect of documents registered at the Headquarters under Section	03 Days	Sub-Registrar	District Registrar	Inspector General of Registration

		30(1)				
2	Sub-Registrar Office	Providing Certified Copies of Documents	07 Days	Sub-Registrar	District Registrar	Inspector General of Registration
3	Sub-Registrar Office	Encumbrance Certificate	07 Days	Sub-Registrar	District Registrar	Inspector General of Registration
4	District Registrar Office	Adjudication regarding Proper Stamp duty under Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899	90 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration
5	District Registrar Office	Impounding of Instruments under Section 33 of the Indian Stamp Act, 1899	90 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration
6	District Registrar Office	Disposal of Stamp Cases under Sections 47-A (1-A) and 47-A(3) of the Indian Stamp Act, 1899	90 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration
7	District Registrar Office	Refund of Spoiled / Unusable Non-Judicial Stamps	30 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration
8	District Registrar Office	Issue of Stamp Vendor Licence under the Chhattisgarh Stamp Rules, 1942	15 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration
9	District Registrar Office	Issue of Licence under the Document Writers Licence Rules, 1966	15 Days	District Registrar	Deputy Inspector General of Registration	Inspector General of Registration

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIV KUMAR SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.